भारत सरकार

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 623

बुधवार, दिनांक 23 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

पीएम-कुसुम के अंतर्गत वित्तीय सहायता

623. श्री कोटा श्रीनिवास पूजारीः

श्री ज्ञानेश्वर पाटीलः

श्री संदीपनराव आसाराम भुमरेः

श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकरः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र सहित देश के विभिन्न राज्यों में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) के अंतर्गत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए किसानों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है;

(ख) मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न राज्यों में पीएम-कुसुम के अंतर्गत सरकार द्वारा कितने किसानों को सौर पंप प्रदान किए जाने का लक्ष्य रखा गया है;

(ग) क्या पीएम-कुसुम के अंतर्गत सौर ऊर्जा पंप स्थापित करने के लिए किसानों को कोई ऋण सुविधा उपलब्ध है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली सहित पीएम-कुसुम योजना के अंतर्गत सौर संयंत्रों के लिए वित्तीय सहायता का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ख) पीएम-कुसुम एक माँग-आधारित योजना है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त माँग और दिखाई गई प्रगति के आधार पर क्षमताओं का आवंटन किया जाता है।

मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सहित पीएम कुसुम के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की प्रगति **अनुलग्नक-II में** दी गई है।

(ग) और (घ): जी, हाँ। पीएम कुसुम के अंतर्गत किसान ऋण सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। यह योजना कृषि अवसंरचना निधि के अंतर्गत शामिल है, जो किसानों को ब्याज अनुदान और आसान वित्तपोषण का लाभ उठाने में सक्षम बनाती है।

<u>**अनुलग्नक-I**</u>

'पीएम-कुसुम के अंतर्गत वित्तीय सहायता' के संबंध में पूछे गए दिनांक 23.07.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 623 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

पीएम-कुसुम योजना के अंतर्गत सौर संयंत्रों सहित विभिन्न संघटकों (कंपोनेंटों) के लिए वित्तीय सहायता

<table>
<tr><th>घटक, लक्ष्य और मानदंड</th><th>वित्तीय सहायता उपलब्ध</th></tr>
<tr><td>घटक क :</td><td>डिस्कॉम को खरीद आधारित प्रोत्साहन (पीबीआई) 40 पैसे/किलोवाट घंटा या 6.60 लाख रुपये/मेगावाट/वर्ष, जो भी कम हो, की दर से पाँच वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। इस घटक के अंतर्गत कोई सीएफए नहीं है।</td></tr>
<tr><td>घटक ख</td><td rowspan="2">एमएनआरई द्वारा जारी बेंचमार्क लागत का 30% या निविदा में खोजी गई प्रणालियों की कीमत, जो भी कम हो, का सीएफए प्रदान किया जाता है।
तथापि, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी बेंचमार्क लागत का 50% या निविदा में प्राप्त प्रणालियों की कीमतें, जो भी कम हो, सीएफए प्रदान किया जाता है।
इसके अतिरिक्त, संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश को कम से कम 30% वित्तीय सहायता प्रदान करनी होगी। शेष लागत लाभार्थी द्वारा वहन की जाएगी।
के घटक बी और घटक सी (आईपीएस) को राज्य की 30% हिस्सेदारी के बिना भी लागू किया जा सकता है। केंद्रीय वित्तीय सहायता 30% बनी रहेगी और शेष 70% किसान द्वारा वहन किया जाएगा।</td></tr>
<tr><td>घटक ग (व्यक्तिगत पंप सौरीकरण)</td></tr>
<tr><td>घटक ग (फीडर स्तर सौरीकरण)</td><td>कृषि फीडर सौरीकरण के लिए, प्रति मेगावाट 1.05 करोड़ रुपये का सीएफए प्रदान किया जाता है। इसमें भाग लेने वाले राज्य/केंद्र शासित प्रदेश से वित्तीय सहायता की कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। फीडर सौरीकरण को कैपेक्स या रेस्को मोड में कार्यान्वित किया जा सकता है।</td></tr>
</table>

अनुलग्नक-I

‘पीएम-कुसुम के अंतर्गत वित्तीय सहायता’ के संबंध में पूछे गए दिनांक 23.07.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 623 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

पीएम-कुसुम योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रगति *(30.06.2025 की स्थिति के अनुसार)*

क्र. सं.	राज्य का नाम	घटक-ए (मेगावाट)		घटक-बी (संख्या)		घटक-सी (संख्या)		
		स्वीकृत	स्थापित	स्वीकृत	स्थापित	स्वीकृत (आईपीएस)	स्वीकृत (FLS)	स्थापित (IPS+FLS)
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0	34	0	436	0	0
2	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	100000	0
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	700	577	0	0	0
4	असम	2	0	4000	0	0	0	0
5	छतीसगढ	330	7	0	0	0	10000	0
6	बिहार	0	0	0	0	0	90000	0
7	गुजरात	500	0	18212	11813	0	725000	183728
8	गोवा	50	0	900	100	0	11000	700
9	हरियाणा	158	14.61	227655	157073	0	12899	0
10	हिमाचल प्रदेश	100	100	1270	959	0	0	0
11	जम्मू और कश्मीर	0	0	5000	2890	0	0	0
12	झारखंड	0	0	52985	35459	0	0	0
13	कर्नाटक	0	0	41365	2334	0	628588	21427
14	केरल	0	0	8	8	3796	25387	13163
15	लद्दाख	0	0	1400	0	0	0	0
16	**मध्य प्रदेश**	**1790**	**52.13**	**59400**	**7325**	**0**	**345000**	**16316**
17	**महाराष्ट्र**	**260**	**4**	**555000**	**419825**	**0**	**775000**	**307194**
18	मणिपुर	0	0	1150	78	0	0	0
19	मेघालय	0	0	3035	98	0	0	0
20	मिजोरम	0	0	1700	40	0	0	0
21	नागालैंड	0	0	265	65	0	0	0
22	ओडिशा	90	0	16441	5716	0	10000	0
23	पुदुचेरी	0	0	72	0	0	0	0
24	पंजाब	0	0	28000	15025	186	0	0
25	राजस्थान	5250	457.25	162914	104574	2035	400000	51335
26	तमिलनाडु	14	3	5200	4187	5000	6000	0
27	तेलंगाना	1450	0	20000	0	28000	0	0
28	त्रिपुरा	5	0	10895	4971	3600	0	285
29	उत्तर प्रदेश	1	1	110948	66463	12000	370000	3945
30	उत्तराखंड	0	0	3685	1367	0	0	0
31	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	20	0	20
	कुल	**10000**	**638.99**	**1332234**	**840947**	**55073**	**3508874**	**598113**

*****